फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

मुकदमा नम्बर :-47/2024 भजनी उर्फ भजनी बनाम गंगाबिशन वगै.

II

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	18/12/24	प्र.का. द्वारा प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रा.पत्र एवं काउन्टर प्रा.पत्र पेश किया गया। जो बाबिल पत्रावली किया गया। शेष अप्रार्थीगण तामिल के बावजूद भी अनुपस्थित है अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही क्रमशः के जायी जाती है। अधिवक्ता द्वय पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकॉर्ड सह. खातेदार काश्तकार होने से सम्पूर्ण हित विहित है। जिससे सुविधा का सन्तुलन अस्थायी चोट का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में बराबरी साबित होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रा.पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 14/6/24 को आंशिक रूप से प्रभावशील वाद रद्दाई किया जाकर पालन किया जाता है लेकिन इस विवादित आराजीयात के नया पुराण बोरिंग के विद्युत कनेक्शन जारी करने व पुराण कनेक्शन जोड़ने पर एवं बोरिंग से सिंचाई करने व पीने के पानी हेतु बोरिंग चालू पर रचनात्मक मारा नहीं होगा। शेष आदेश दिनांक 14/6/24 यथावत रहेगा। पत्रावली प्रमाण हेतु काबिल होकर इस न्यायालय को है तथा हस्ताक्षर टंकित होकर इस न्यायालय के रोजनामचे रहे।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:48:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूं (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner